

मूक पात्रिका

निष्पक्ष, निर्भीक, स्वतंत्र आवाज...

वर्ष - 03 अंक - 57 बेमेतरा, मंगलवार 13 अक्टूबर 2026 रायपुर एवं बेमेतरा से प्रकाशित कुल पेज - 08 मूल्य - 1 रुपये डाक पंजीयन- दुर्ग/1743290201/2025-27

प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना : उत्कृष्ट कार्य के लिए छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले को मिला राष्ट्रीय सम्मान, मुख्यमंत्री साय ने दी बधाई

पीएम कृषि धन-धान्य योजना के उत्कृष्ट क्रियान्वयन में दंतेवाड़ा ने रचा इतिहास, राष्ट्रीय स्तर पर मिला ‘सर्वश्रेष्ठ जिला’ पुरस्कार

रायपुर। छत्तीसगढ़ ने कृषि विकास, किसान कल्याण और ग्रामीण समृद्धि के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री कृषि धन-धान्य योजना के उत्कृष्ट एवं प्रभावी क्रियान्वयन के लिए दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा जिले को देशभर में ‘सर्वश्रेष्ठ जिला’ के प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह उपलब्धि राज्य सरकार की किसान हितैषी नीतियों, कृषि क्षेत्र में नवाचार, प्रभावी प्रशासनिक नेतृत्व और मैदानी स्तर पर योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन का महत्वपूर्ण परिणाम है। नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन एवं पुरस्कार वितरण समारोह में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दंतेवाड़ा जिले को यह प्रतिष्ठित सम्मान प्रदान किया। जिले की ओर से कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव और उप संचालक कृषि सूरज कुमार पंसारी ने संयुक्त रूप से पुरस्कार ग्रहण



किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस गौरवपूर्ण उपलब्धि पर दंतेवाड़ा जिले के किसानों, जिला प्रशासन और कृषि विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि यह सम्मान छत्तीसगढ़ के मेहनतकश अन्नदाताओं के परिश्रम, शासन की किसान कल्याणकारी नीतियों और प्रशासनिक प्रतिबद्धता का प्रतीक है। उन्होंने कहा

कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प के अनुरूप कृषि को आधुनिक, लाभकारी और समृद्धि का आधार बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। विशेष रूप से बस्तर जैसे आदिवासी बहुल अंचल में कृषि विकास की यह उपलब्धि पूरे प्रदेश के लिए गौरव का विषय है। कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री रामविचार नेताम ने दंतेवाड़ा जिले को राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने

पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए किसानों एवं कृषि विभाग की पूरी टीम को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने, कृषि उत्पादकता में वृद्धि, उन्नत कृषि तकनीकों के विस्तार और परंपरागत खेती को आधुनिक संसाधनों से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। दंतेवाड़ा की यह सफलता इस बात का प्रमाण है कि सुनियोजित प्रयासों, विभागीय

समन्वय और किसानों की सक्रिय सहभागिता से वनांचल एवं आदिवासी क्षेत्रों में भी कृषि विकास के नए कीर्तिमान स्थापित किए जा सकते हैं। प्रदेश में कृषि योजनाओं के प्रभावी संचालन, नियमित समीक्षा और विभागीय समन्वय को सुदृढ़ बनाने में कृषि उत्पादन आयुक्त एवं सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी के कुशल प्रशासनिक नेतृत्व की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उनके मार्गदर्शन में कृषि विभाग द्वारा योजनाओं के परिणामोन्मुख क्रियान्वयन, नवाचारों को प्रोत्साहन तथा अंतिम छोर के किसानों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। दंतेवाड़ा जिले की यह उपलब्धि राज्य स्तर पर प्रभावी प्रशासनिक मार्गदर्शन और जिला स्तर पर योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन का उदाहरण है। प्रधानमंत्री कृषि धन-धान्य योजना के अंतर्गत दंतेवाड़ा जिले में दूरस्थ वनांचल ग्रामों के लघु एवं सीमांत किसानों तक कृषि योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए विशेष

प्रयास किए गए। जिले में पारंपरिक कृषि पद्धतियों के साथ आधुनिक तकनीकों का समन्वय, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन, जैविक एवं प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन तथा कृषि आदानों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में कार्य किया गया। जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में कृषि, उद्यानिकी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास सहित विभिन्न विभागों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित कर बलस्तर आधारित गतिविधियों को बढ़ावा दिया गया। इसके साथ ही कृषि उत्पादों के मूल्य संवर्धन, प्रसंस्करण और बाजार से जुड़ाव को प्रोत्साहित करने के प्रयासों ने किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त करने के बाद कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव ने इस उपलब्धि का श्रेय जिले के मेहनती किसानों, कृषि विभाग के मैदानी अमले और विभिन्न विभागों के समन्वित प्रयासों को दिया।

ज्ञानेश को हटाने तथा एसआईआर को वापस लेने की मांग को लेकर इंडिया गठबंधन का सुप्रीम कोर्ट तक मार्च

नयी दिल्ली। इंडिया गठबंधन के नेताओं और सांसदों ने वोट चोरी का आरोप लगाते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कार्रवाई की मांग, मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण पर रोक लगाने और ‘वोट चोरी’ के आरोपों की जांच की मांग को लेकर बाराखंभा रोड से उच्चतम न्यायालय तक मार्च निकाला जिसमें बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी शामिल हुए। विपक्षी गठबंधन एसआईआर की प्रक्रिया पर रोक लगाने, मतदाता सूची से कथित तौर पर गलत तरीके से हटाए गए नामों के मामले में हस्तक्षेप करने और चुनावी व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग कर रहा है। गठबंधन का कहना है कि मताधिकार की रक्षा और चुनावी प्रक्रिया में जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए इन मुद्दों पर न्यायिक हस्तक्षेप आवश्यक है।



सरकार ने देश की आत्मा पर हमला किया, जब तक ज्ञानेश कुमार नहीं हटेंगे तब तक नहीं रुकेंगे: राहुल गांधी

नई दिल्ली। विपक्षी दलों द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और मतदाता सूची से जुड़े विशेष गहन पुनरीक्षण विवाद को लेकर विरोध प्रदर्शन और तेज हो गया है। सोमवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रेस को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला और कहा कि सरकार ने देश की आत्मा पर हमला किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह सरकार से कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, बल्कि देश के संविधान को बचाने की एक बड़ी मुहिम है। ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे तक जारी रहेगा

आंदोलन मार्च और विरोध प्रदर्शन- राहुल गांधी ने घोषणा की कि जब तक मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार अपने पद से इस्तीफा नहीं देते, तब तक विपक्ष और युवा पीछे नहीं हटेंगे और यह विरोध प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। चलो दिल्ली मार्च फॉर डेमोक्रेसी, कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन की विभिन्न विपक्षी पार्टियां आज कर्नाट प्लेस- बाराखंभा रोड जंक्शन पर एकत्र होकर सुप्रीम कोर्ट तक एक ऐतिहासिक मार्च निकालेंगी।



को सुप्रिया सुले कांग्रेस महासचिव के. सी. वेणुगोपाल, समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेन्द्र यादव, शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के सांसद संजय राउत और अरविंद सावंत, झारखंड मुक्ति मोर्चा की नेता महिमा माझी तथा ममता तृणमूल कांग्रेस की सांसद महिमा मोझा सहित

विपक्षी दलों के कई अन्य नेता शामिल हुए। मार्च के दौरान विपक्षी सांसदों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ नारे लगाए और उनको हटाने की मांग करते रहे। प्रदर्शनकारियों ने ‘वोट चोरी’ को सता की गद्दी छोड़ने की मांग करते हुए आरोप लगाया है कि मतदाता

सूची के पुनरीक्षण की प्रक्रिया में अधिकारिताओं से पात्र मतदाताओं के अधिकार प्रभावित हो सकते हैं। वेणुगोपाल ने कहा कि यह शक्ति प्रदर्शन नहीं बल्कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव व्यवस्था के खिलाफ सबसे बड़ा आंदोलन है।

नयी दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को राजमाता विजयाराजे सिंधिया की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मोदी ने देश सेवा के लिए उनके त्याग और समर्पण को याद किया और उनके आदर्शों को देश के विकास के लक्ष्यों के लिए प्रेरणा का निरंतर स्रोत बताया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किए गए एक संदेश में मोदी ने कहा, राजमाता विजयाराजे सिंधिया को उनकी जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि। राष्ट्र सेवा के प्रति उनका त्याग और समर्पण सभी के लिए प्रेरणा है। उनके आदर्श और विचार ‘विकसित भारत’ के संकल्प को नई ऊर्जा देंगे। प्रधानमंत्री ने कहा विजयाराजे सिंधिया,



जिन्हें ‘राजमाता’ के नाम से जाना जाता है, भारतीय जनसंघ के विकास और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के उदय से जुड़ी प्रमुख हस्तियों में से एक थीं। उन्होंने पार्टी के संगठन को खड़ा करने में अहम भूमिका निभाई और इसके वैचारिक व संगठनात्मक आधार को विकसित करने में एक प्रभावशाली हस्ती बनी रहीं।

केरल विधानसभा में मुख्यमंत्री सीईसी ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए में प्रस्ताव ला सकते हैं

तिरुवनंतपुरम। केरल में 16वीं विधानसभा के दूसरे सत्र में सोमवार को एक बड़ा राजनीतिक टकराव देखने को मिल सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री वी.डी. सतीसन के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए प्रस्ताव लाने की उम्मीद है। यह प्रस्तावित कदम चुनाव आयोग के कामकाज, खासकर मतदाता सूची के ‘विशेष गहन पुनरीक्षण’ और योग्य मतदाताओं के नाम सूची से छूट जाने के आरोपों पर विपक्ष की बढ़ती आलोचना के बीच उठाया जा रहा है। इस प्रस्ताव में मतदान के अधिकारों की सुरक्षा, मतदाता सूची के संशोधन के दौरान अपनाई गई प्रक्रियाओं और संवैधानिक संस्था के कामकाज में जवाबदेही सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर चिंता जताए जाने की उम्मीद है। इसमें संशोधन प्रक्रिया के दौरान कथित तौर पर हटाय गए।



220 की रफ्तार से दौड़ रही मिनी कूपर ने स्कूटर को मारी टक्कर, 3 की मौत

कोच्चि। केरल के कोच्चि में देर रात तेज रफ्तार और नशे की सनक ने तीन बेकसूरों की जान ले ली। नेदुंबस्सेरी एयरपोर्ट के पास करीब 220 किलोमीटर प्रति घंटे की बेकाब रफ्तार से दौड़ रही एक लजरी मिनी कूपर कार ने सामने से स्कूटर को जोरदार टक्कर मार दी। इस भीषण हादसे में दोपहिया



वाहन पर सवार दो युवतियों सहित तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने कार चला रहे 19 वर्षीय रईसजादे सुहेल और उसके साथी को हिरासत में ले लिया है। आरोपी चालक पर गैर-इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। देर रात चाय पीने निकले थे साथी, अथानी जाते वक्त काल बनकर आई कारनेदुम्बसेरी पुलिस के अनुसार, यह दर्दनाक हादसा देर रात करीब 1:45 बजे हुआ। मृतकों की

पहचान पलक्कड़ निवासी गोपिका, वायनाड निवासी देविका और कर्नाटक के रहने वाले इजाज के रूप में हुई है। ये तीनों श्रीकाकारा स्थित एक हैंडीक्राफ्ट शॉप में काम करते थे और देर रात एयरपोर्ट के पास चाय की एक दुकान पर गए थे। चाय पीने के बाद जब वे स्कूटर से अथानी की ओर लौट रहे थे, तभी सामने से आ रही तेज रफ्तार मिनी कूपर ने उनके वाहन को जबर्दस्त टक्कर मार दी। भिड़ंत इतनी जोरदार थी कि स्कूटर के परखच्चे उड़ गए और कार का अगला हिस्सा भी बुरी तरह चकनाचूर हो गया। स्थानीय लोग गंभीर हालत में तीनों को तुरंत अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

धारा 163 (जिसने पहले की दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 की जगह ली है) के तहत प्रतिबंध लागू हैं

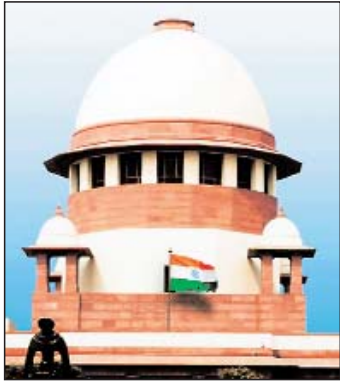
सुप्रीम कोर्ट ने विरोध प्रदर्शन के दौरान अवमानना मामले में दिल्ली सरकार से मांगा जवाब

नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने रविवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग को लेकर 10 अक्टूबर को हुए विरोध-प्रदर्शनों के दौरान मेट्रो स्टेशन बंद करने के लिए उसके खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्यवाही क्यों न शुरू की जाए।

न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और वी. गोपाल की एक विशेष पीठ ने अधिकारियों को अवमानना याचिका का जवाब देते हुए एक संक्षिप्त हलफनामा दाखिल करने और विरोध-प्रदर्शनों के दौरान सार्वजनिक परिवहन और आवाजाही के संबंध में नौ अक्टूबर को जारी अदालत के पिछले निर्देशों के पालन पर एक रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया।

अदालत ने कई निर्देशों में आदेश दिया कि मेट्रो और रेलवे सेवाएं सामान्य

रूप से चलनी चाहिए, हालांकि सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जरूरी नियम लागू किए जा सकते हैं। अदालत ने कहा कि यातायात नियमन के अलावा शहर में आवाजाही में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए, सड़क पर लगे बैरिकेड्स की तुरंत समीक्षा करने का निर्देश दिया और आदेश दिया कि अधिकारियों के पास मौजूद कानूनी अधिकारों के तहत इंटरनेट सेवाएं बिना किसी रुकावट के चलती रहनी चाहिए। पीठ ने निर्देश दिया कि किसी को भी गैर-कानूनी तरीके से हिरासत में नहीं लिया जाना चाहिए और उन इलाकों के बाहर शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठा होने की अनुमति दी जानी चाहिए जहां भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 (जिसने पहले की दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 की जगह ली है) के तहत प्रतिबंध लागू हैं। न्यायमूर्ति मोहना ने विरोध-प्रदर्शन का समर्थन करने वालों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन



सुनिश्चित करने की उनकी जिम्मेदारी भी याद दिलाई। उन्होंने कहा, आप सभी जो यहां मौजूद हैं, अगर आप सच में जनहित में रुचि रखते हैं, तो कृपया यह वचन दें कि आप सभी शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करेंगे और किसी अन्य व्यक्ति को उकसाएंगे नहीं। वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनाथयणन ने सहमति व्यक्त की और अधिकारियों से भी इसी तरह के आश्वासन की मांग की। उन्होंने कहा,

बिल्कुल। और उनकी तरफ से भी यह वचन आना चाहिए कि वे शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के साथ कैसा व्यवहार करेंगे। अदालत ने उच्चतम न्यायालय के बाहर लगे उस बोर्ड को हटाने का भी आदेश दिया जिसमें आसपास के इलाके में बीएनएसएस की धारा 163 लागू होने की घोषणा की गई थी।

अदालत ने कहा कि नागरिकों और वकीलों को अदालत तक पहुंचने में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। गौरतलब है कि ये निर्देश ‘न्यायिक जवाबदेही और न्यायिक सुधार समिति’ और कांफ़ेरोच जनता पार्टी के विरोध-प्रदर्शनों के दौरान लगी पाबंदियों और हिरासत में लिए जाने के मामलों पर दायर याचिकाओं के बाद आए। इन संगठनों ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया के दौरान लिए गए फैसलों को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग की थी। वरिष्ठ वकील मेनका

गुरुस्वामी ने बताया कि विपक्ष के नेताओं और चार पूर्व मुख्यमंत्रियों समेत लगभग 7,000 लोगों को हिरासत में लिया गया था। उन्होंने सवाल उठाया कि मौलिक अधिकारों को निलंबित किए बिना शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार को कैसे सीमित किया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि अदालत के पिछले आदेश के बावजूद मेट्रो स्टेशन बंद करना उसकी अवमानना है। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने तर्क दिया कि विरोध करने का अधिकार छीना नहीं जा सकता, हालांकि अनुच्छेद 19 के तहत सार्वजनिक व्यवस्था से जुड़ी उचित पाबंदियां लागू हो सकती हैं।

उन्होंने कहा कि नागरिकों को इस अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहले से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। पूर्व महान्यायावादी केके वेणुगोपाल ने अपनी एक पूर्व जूनियर सहयोगी को हिरासत में लिए जाने की घटना का जिक्र किया।

अराजकता से बाज आए कांग्रेस, वरना जो बचा है वह भी गंवा देगी : सीएम योगी

लखनऊ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर तीखा प्रहार करते हुए उसे देश में अराजकता का पर्याय बताया है। उन्होंने चेताया कि कांग्रेस अपनी राजनीतिक विफलताओं को छिपाने के लिए देश में अराजकता फैलाने से बाज नहीं आई तो जनता उसका बचा-खुचा राजनीतिक अस्तित्व भी समाप्त कर देगी।



मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी अपनी गलतियों से सबक लेने के बजाय लोकतंत्र और संवैधानिक संस्थाओं को कठघरे में खड़ा कर रही है। जनता का विश्वास खो चुकी कांग्रेस को यह समझना चाहिए कि देश को जनता लोकतांत्रिक दृष्टि से जागरूक है। वह अराजक और अलोकतांत्रिक आचरण को अधिक समय तक बर्दाश्त नहीं करेगी। सोमवार को मीडिया से बातचीत में सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस ने गैर-जिम्मेदार राजनीतिक आचरण से देश में अराजकता का

वातावरण पैदा किया है। पहले देश के भीतर पहचान का संकट खड़ा किया और फिर अपने भ्रष्ट मंसूबों के कारण जनता का विश्वास खो दिया। इसके बावजूद कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों का रवैया नहीं बदला। जनता से लगातार उसे बार-बार क्यों दुकरा रहा है। भारत को जनता लोकतांत्रिक दृष्टि से जागरूक है। वह अराजक और अलोकतांत्रिक आचरण को अधिक समय तक बर्दाश्त नहीं करेगी। सोमवार को मीडिया से बातचीत में सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस ने गैर-जिम्मेदार राजनीतिक आचरण से देश में अराजकता का



संपादकीय

भारतीय लोकतंत्र में चुनाव आयोग की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसकी जिम्मेदारियों का मूल्यांकन मतदाता सूची तैयार करने से लेकर निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से मतदान सुनिश्चित कराने तक किया जाता है। इसलिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस संवैधानिक संस्था की विश्वसनीयता बढ़ाना बनाए रखना बेहद जरूरी है। हमारा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआइआर की प्रक्रिया को लेकर शुरू से ही

जिस तरह के सवाल उठ रहे हैं, उससे राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर गंभीर जांचें उभरी हैं। खासकर विभिन्न राज्यों में लाखों की संख्या में नागरिकों को मतदाता सूची से बाहर कर देने से शासन के चयन में उनकी भागीदारी खत्म हो जाने के साथ-साथ उनके सामने कई तरह की चुनौतियाँ पैदा हो गई हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति उज्जल भुधन्य ने भी बीते रविवार को देहराबाद में एक कार्यक्रम में इस चिन्ता को रेखांकित करते हुए

कहा कि नागरिकों को उनके मताधिकार से वंचित करने वाली कोई भी प्रक्रियायिक संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ है और उसमें किसी भी तरह की दलीलों के जरिए उचित नहीं ठहराया जा सकता। एसआइअर प्रक्रियायिक पर उठ रहे सवालों की गंभीरता का अंदाजा जस्टिस इस बात से लगाया जा सकता है कि हाल में देश भर में करीब तेरह करोड़ लोगों को मतदान सूची से बाहर कर दिए जाने की खबरें आई हैं। इतने बड़े पैमाने पर अगर देश

के नागरिक अपने मताधिकार से वंचित हो जाएँ, तो क्या इसे लोकतांत्रिक व्यवस्था में मतदाता सूची की शुचित्वा के दृष्टिगत शुभ संकेत के तौर पर देखा जाएगा? इसी नागरिक मतदाता बनना और उसके मतदान करने का अधिकार स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव की आधारशिला होता है। केवल तबनीकी पहलुओं के आधार पर उसकी पहचान से मताधिकार को अलग कर देना क्या लोकतंत्र में उसकी सबसे महत्वपूर्ण भागीदारी को खत्म कर देना नहीं

हेन्रियामूर्ति उज्जल भुइयां ने थी अपनीने नई टिप्पणी में कहा है कि देश का संविधानानागरिकों को दो वर्गों में नहीं बाँटा, जिनमें से सारे लोग अपने ही हैं। एक वर्ग मताधिकार प्राप्त हो और दूसरा मतहीन रहे। मताधिकार से वंचित। यदि किसी प्रक्रिया के परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर लोग अपने ही देश में दोगम दर्जे के नागरिक बन जाएँ, तो उसमें सुधार की राह कालान्तर अत्यन्तचालक आवाश्यक हो जाता है। दूसरी ओर, एसआइआरएफके के तहत फार्म-6 को लेकर सर्वोच्च न्यायालयन्यायपालिका

की ओर से सोमवार को स्थिति स्पष्ट किए जाने से सुनाव आयोग के उस दावे को लेकर भी सचुल खुद्वे हगे एए हैं, जिसमें कहा गया था कि शीर्ष अदालत ने इस फार्म की घोषणा को सही ठहराया है। जबकि न्यायालय ने साफतौर पर कहा कि उसने इस फार्म में किसी भी तरह के बदलाव को मंजूरी नहीं दी है। इससे सुनाव आयोग की विश्वसनीयता को लेकर आम नागरिकों के बीच धरोसे का संकट और गहरा हो गया है।

भारत में आर्थिक विकास की गति तेज रहने के बावजूद क्यों गिर रहा है शेयर बाजार

चीन-पाकिस्तान रक्षा गठजोड़ और भारत की रणनीतिक विवशता

(अशोक भाटिया)

इस संकट को और गहरा करने में हमारे स्वदेशी रक्षा उत्पादन की कछुआ चाल ने बड़ी भूमिका निभाई है। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित किए जा रहे तेजस मार्क-1ए लड़ाकू विमानों की डिलीवरी में लगातार देरी देरी ने वायुसेना के आधुनिकीकरण के पहियों को जाम कर दिया है।

दक्षिण एशिया के भू-राजनीतिक परिदृश्य में शक्ति संतुलन तेजी से कमवट बढ़ रहा है। पिछले कुछ समय में चीन और पाकिस्तान के बीच रक्षा और सामरिक सहयोग जितना आक्रामकता के साथ आगे बढ़ा है, उसने नई दिल्ली के सुरक्षा गलियारों में खतरे की घंटी बजा दी है। हाल ही में चीन द्वारा पाकिस्तान को पांचवीं पीढ़ी के अत्याधुनिक स्ट्रेलथ लड़ाकू विमान, अविश्व रूप से जे-35 और जे-31 की आपूर्ति करने की खबरों और पाकिस्तानी पायलटों की चीनी वायुसेना के साथ बदौती संयुक्त ट्रेनिंग मजबूत द्विपक्षीय सैन्य सौदा नहीं है। यह भारत की संयुक्तता, स्वाई श्रेष्ठता और दीर्घकालिक सुरक्षा के लिए एक सीधी और गंभीर चुनौती है। भारतीय वायुसेना के नेतृत्व में भी इस उभरते खतरे को खुले तौर पर नहीं किय उभरता है। आज भारत के सामने सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न यह है कि वह एक तत्काल घटती हुई लड़ाकू विमानों की तरफ घटती और दूसरी तरफ टू-फ्रंट वॉर (दो मोर्चों पर युद्ध) की वास्तविक

हेली आशंका के बीच अपनी सैन्य संरम्भता को कैसे अक्षुण्ण बनाए रखे। यहन संपादकीय इस रक्षा सौदे के गहरे रणनीतिक निहितार्थों, भारत की वर्तमान वायुसैनिक कम्पोजीश्यों और इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने के वायुव्यवहार रणनीतियों का एक विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

ऐतिहासिक रूप से, भारत ने पारंपरिक सैन्य मोर्चों पर हमेशा पकिस्तान के खिलाफ एक गुणात्मक और संख्यात्मक बढ़त बनाए रखी है। 1965, 1971 और 1999 के युद्धों में भारतीय वायुसेना की तकनीकी और रणनीतिक श्रेष्ठता ने निर्णायक भूमिका निभाई थी। यहाँ तक कि हाल के वर्षों में फ्रांस से मिले 4.5 पीढ़ी के राफेल विमानों ने पकिस्तान की वायुसेना के अमेरिकी एफ-16 विमानों पर भारत को एक स्पष्ट मनोवैज्ञानिक और तकनीकी बढ़त दे दी थी। लेकिन चीन द्वारा पकिस्तान को पांचवीं पीढ़ी के फाइटर जेट सौंपने की यह नई डील इस स्थितिगत संतुलन को पूरी तरह से बिगाड़ने की क्षमता रखती है।

पांचवीं पीढ़ी के विमानों की सबसे

बड़ी खासियत उनका स्टैल्थ होना होता है, यानी वे दुश्मन के ख़ाक़ को नज़रों से बचकर बेहद करीब तक हमला करने में सफल होते हैं। यदि पाकिस्तान इन विमानों को अपनी वायुसेना में सफलतापूर्वक शामिल और संचालित कर लेता है, तो भारत की मौजूदा हवाई रक्षा प्रणालियों और राफेल जैसे 4.5 पीढ़ी के विमानों की प्रभावशीलता पर एक गंभीर प्रश्नचिह्न लग जाएगा। चीन इस सोच के ज़रिए न केवल भारत को इस सैन्य पड़ोस में उलझाए रखना चाहता है, बल्कि वह भारतीय उपमहाद्वीप में अमेरिकी प्रभाव और भारत की बढ़ती वैश्विक महत्वाकांक्षाओं को भी सीमित करना चाहता है। यह सोझा साफ़ तौर पर दर्शाता है कि पाकिस्तान अब चीनी सेना के एक प्रॉक्सी के रूप में काम कर रहा है, जिसका एकमात्र उद्देश्य भारत की सैन्य ऊर्जा को निरंतर सोखना है।

इस बाहरी खतरे के बीच, भारत की सभ्यता बड़ी चतुराई उसकी आंतरिक रक्षा के साधनों की धीमी रफ्तार है। भारतीय वायुसेना को किसी भी दोहरे मोर्चे (चीन और पाकिस्तान) की चुनौती से निपटने के लिए कम से कम 42 लड़ाकू विमानों की स्काउड की आवश्यकता स्वीकृत है। इसके विपरीत, वर्तमान में यह संख्या खतरनाक रूप से घटकर महज 29 स्काउडन पर आ गई है। मिग-21 जैसे पुराने सोवियत कालीन विमानों के चरणबद्ध तरीके से बाहर होने और नए विमानों के शामिल होने की बेहद धीमी दर ने इस खड़ाई को और चौड़ा कर दिया है।

इस संकेत को और गहरा करने में हमारे स्वदेशी रक्षा उपकरणों को कुछोआचल ने बड़ी भूमिका निभाई है। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा हिंदुस्तान किए जा रहे तेजस मार्क-1ए लड़ाकू विमानों की डिलीवरी में लगातार हो रही है। देरी ने वायुसेना के आधुनिकीकरण के पहियों को जाम कर दिया है। स्वदेशीकरण और आत्मनिर्भर भारत का नारा अपनी जगह बेहद सराहनीय और आवश्यक है, लेकिन जब वास्तविक युद्ध की रणनीतियों की बात आती है, तो नारों से ज्यादा जमीन पर विमानों की उपलब्धता मायने रखती है। भारत अपने लड़ाकू विमानों की संख्या को बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा है, जबकि उसके दोनो पड़ोसी देश अपनी फ्लीटों को न केवल आधुनिक बना रहे हैं, बल्कि उनकी संख्या में भी भारी इजाफा कर रहे हैं। वायुसेना प्रमुख के अनुसार, यदि भारत को अपनी खोई हुई हवाई श्रेष्ठता वापस पानी है, तो उसे हर साल अपनी फ्लीट में कम से कम 36 से 40 नए फाइटर जेट शामिल करने होंगे, जो कि वर्तमान उत्पादन क्षमता को देखते हुए एक बेहद कठिन लक्ष्य प्रतीत होता है।

स्विटजरलैंड के साथ रिश्तों को नई ऊंचाई देकर मोदी ने यूरोप में चली बड़ी कूटनीतिक चाल

(नीरज कुमार दुबे)

प्रधानमंत्री मोदी और गाइ
पारमेलिन की मुलाकात का सबसे
बड़ा संदेश यह है कि भारत और
स्विट्ज़रलैंड अब अपने रिश्ते को
बहु-आयामी रणनीतिक साझेदारी
में बदलने की कोशिश कर रहे हैं।
हैदराबाद हाउस में मोदी और
पारमेलिन ने व्यापार एवं निवेश,
एआई, नवाचार, रक्षा उत्पादन और
सैन्य आदान-प्रदान, परमाणु ऊर्जा,
विज्ञान-प्रौद्योगिकी तथा लोगों के
बीच संपर्क सहित पूरे संबंधों की
समीक्षा की।

भारत और स्विट्जरलैंड की साझेदारी का असली रणनीतिक विस्तार रक्षा और उन्नत प्रौद्योगिकी में दिखाई देता है। दोनों पक्षों ने सैन्य आदान-प्रदान और उन्नत उत्पादन में नए अवसर तलाशने तथा परमाणु ऊर्जा सहयोग को और गहरा करने पर सहमति जताई है।

दुनिया के बदलते सामरिक और आर्थिक समीकरणों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीति लगातार भारत की वैश्विक पहुंच को नए आयाम दे रही है। इसी व्यापक कूटनीतिक रणनीति की एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में स्विट्जरलैंड के साथ संबंधों को नई ऊंचाई तक ले जाने की दिशा में आज एक अहम कदम हमने आया। विस्व राष्ट्रपति गाइ पारमेलिन की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने प्रवास एवं गतिशीलता, युवा पेशेवरों, परिवहन प्रौद्योगिकी, वैज्ञानिक अनुसंधान तथा नवान्वाह और स्टार्ट-अप सहयोग से जुड़े पांच महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। व्यापार और निवेश से आगे बढ़कर रक्षा उत्पादन, परमाणु ऊर्जा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, विज्ञान, उन्नत प्रौद्योगिकी और वैश्विक कूटनीति तक साझेदारी का विस्तार यह संकेत देता है कि भारत-स्विट्जरलैंड संबंध अब एक नए रणनीतिक चरण में प्रवेश कर रहे हैं और मोदी की सक्रिय कूटनीति ने यूरोप के इस महत्वपूर्ण देश के साथ भारत की साझेदारी को जिस तेजी से व्यापक बनाया है, उसने अंतरराष्ट्रीय कूटनीतिक हलकों का ध्यान खींचा है।

प्रधानमंत्री मोदी और गाड़ पारमेलिन की मुलाकात का सबसे बड़ा संदेश यह है कि भारत और स्विट्जरलैंड अब अपने रिश्ते को बहु-आयामी रणनीतिक साझेदारी में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। हैदराबाद हाउस में मोदी और पारमेलिन ने व्यापार एवं निवेश, एआई, नवाचार, रक्षा उत्पादन और सैन्य आदान-प्रदान, परमाणु ऊर्जा, विज्ञान-प्रौद्योगिकी तथा लोगों के बीच संपर्क

सहित पूरे संबंधों की समीक्षा की। देखा जाये तो आर्थिककृत मोर्चे पर भारत दुर्दुर्लभ व्यापार एवं आर्थिक साझेदारी समझौता इस रीति की रीढ़ बनकर उभरा है। यह समझौता अक्टूबर 2025 में लागू हुआ था और स्विट्जरलैंड इसे भारतीय बाजार में स्विस कंपनियों की पहुंच और निवेश के लिए अधिक निश्चिन्ता देने वाला

करार मानता है। स्विट्जरलैंड के अनुसार भारत एशिया में उसका दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और देश में 330 से अधिक स्विस् कंपनियां सक्रिय हैं।

द्विपक्षीय वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस समझौते के जरिए अगले 15 वर्षों में भारत में 100 अरब डॉलर के निवेश और 10 लाख प्रत्यक्ष रोजगार का लक्ष्य रखा गया है। भारतीय कृषि उत्पादों, औषधियों, वस्त्रों और इंजीनियरिंग उत्पादों के लिए स्विस बाजार में अवसर बढ़ाने के साथ भारत जैव-प्रौद्योगिकी, जीवन विज्ञान, बैंकिंग, बीमा, खाद्य प्रसंस्करण और सतत विकास जैसे क्षेत्रों में स्विस निवेश आकर्षित करना चाहता है।

लेकिन इस साझेदारी का असली रणनीतिक विस्तार रक्षा और उन्नत प्रौद्योगिकी में दिखाई देता है। दोनों पक्षों ने सैन्य आदान-प्रदान और रक्षा उत्पादन में नए अवसर खोलने तथा परमाणु ऊर्जा सहयोग को और गहरा करने पर सहमति जताई है। यह संकेत इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि स्विट्जरलैंड को उच्च तकनीकी औद्योगिक क्षमता और भावत की बढ़ती रक्षा विनिर्माण महत्वाकांक्षा मिलकर नए तकनीकी और औद्योगिक सहयोग के रास्ते खोल सकती है।

साथ ही दोनों देशों के बीच बुनियादी ढांचे में भी

सहयोग अब जमीन पर दिखाई दे रहा है। वाराणसी रोपवे, नोएडा के जेवर हवाई अड्डे और पश्चिमी क्षेत्रों में रेलवे तथा सुरंग परियोजनाओं का उल्लेख करते हुए मोदींय पत्रावहन, गतिशीलता और आधारभूत ढांचे पर नए समझौते को आगे की सझेदारी का आधार बताया। समझौते में विद्युत वाहन, रोपवे, परिपत्र अर्थव्यवस्था,



सुरंग और टिकाऊ परिवहन प्रणालियों पर सहयोग शामिल है।

साथ ही विज्ञान और नवाचार इस रिस्ते की दूसरी ओर बढ़ी धुरी बन रहे हैं। भारतीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और स्वयं राष्ट्रीय विज्ञान प्रेष्ठान का बीच-बीच में समझौता दीर्घकालिक संयुक्त अनुसंधान का ढांचा तैयार करने का होगा। स्वास्थ्य, स्वच्छ ऊर्जा और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में नए संयुक्त शोध की शुरुआत भी प्रस्तावित है।

ज्यूरिख विश्वविद्यालय के अनुप्रयुक्त विज्ञान संस्थान के साथ समझौते के जरिए शुरुआती चरण के भारतीयों, स्टार्टअप को प्रशिक्षण, तकनीकी हस्तांतरण, कार्यशालाओं और अंतरराष्ट्रीय नेटवर्किंग का अवसर

इसके अलावा, दोनों देशों ने आगामी भारत-स्विस् अनुसंधान प्रमुख कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र की भी घोषणा की है। साथ ही वैश्विक शांति-कूटनीति और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में सुधार की जरूरत पर दोनों पक्षों ने सहमति जताई है। यूक्रेन और पश्चिम एशिया जैसे संकटों पर भारत ने हर सांख्यिक शांति प्रयास के समर्थन की अपनी नीति दोहराई। आईएफशियल इंटीलिजेंस भी इस रिश्ते का अगला मोर्चा है। भारत में 2026 के एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन के बाद रिव्दजरलैंड अगले चरण में जिनैवा एआई शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। दोनों देशों की कोशिश जिम्मेदार, समावेशी और मानव-केन्द्रित कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए सहयोग बढ़ाने की है।

साफ है कि यह यात्रा केवल पांच समझौतों की कहानी नहीं है। इसके पीछे भारत की रणनीति, यूरोप में व्यापार, निवेश, उन्नत तकनीक और विश्वसनीय आपूर्ति शृंखलाओं के नए केंद्रों से संबंध मजबूत करने की है जबकि स्विट्जरलैंड

भारत को अपने एशियाई आर्थिक और तकनीकी विस्तार के महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में देख रहा है। 7 अक्टूबर का भारत-इंडोएफटीए 'प्रॉस्पेरिटी समिट' इस पूरी कवायद को निवेश और कारोबारी परियोजनाओं में बदलने की अगली परीक्षा होगा।

बहरालन, रणनीतिक तस्वीर बिल्कुल स्पष्ट है। भारत-स्विट्जरलैंड संबंध अब घड़ियों, पर्यटन और बैंकिंग की पारंपरिक छवि से बाहर निकलकर रक्षा उत्पादन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अंतरिक्ष, स्वच्छ ऊर्जा, अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे, स्टार्टअप और वैश्विक कूटनीति के नए मैदान में प्रवेश कर चुके हैं। (इस लेख में लेखक के अपने विचार हैं।)

